न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारेठ आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 72/2019

विनोद कुमार पुत्र श्री भागीरथ जाति जाट आयु लगभग 41 वर्ष निवासी आर. क्यू.14, रिद्धि सिद्धि एन्कलेव प्रथम, हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. प्रहलाद पुत्र श्री बलवन्त जाति जाट (कम्पाउन्डर गौड़ हॉस्पीटल, श्रीगंगानगर) निवासी चक 1 बी.के.आर., सरकजनहर, ओढ़की, तहसील श्रीगंगानगर हाल निवासी 4–डी–13, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

– :: उपस्थिति अभिभाषकगण :: –

1. श्री दिनेश छाबड़ा –प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 21.10.2019

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की कृषि भूमि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के सरकज नहर, ओढ़की का खाता संख्या 12/15, मुरब्बा नम्बर 9 में किला नम्बर 2/1 में 0.127 है. एवं किला नम्बर 10/1 में 0.126 यथा कल 0253 है. दर्ज रिकॉर्ड है जिसका एकमात्र खातेदार एवं काबिज काश्तकार प्रार्थी है। अप्रार्थी के नाम से कृषि भूमि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के सरकज नहर, ओढ़की का खाता संख्या 12/15, भुरब्बा नम्बर 9 में किला नम्बर 1 में 0.228 है., 9 सालम, 12 सालम, मुरब्बा नम्बर 8 में किला नम्बर 5 में 0.076 है. एवं किला नम्बर 6 सालम यथा कुल 1.063 है. दर्ज रिकॉर्ड है प्रमाणित प्रति जमाबन्दी एवं अप्रार्थी के नाम से उक्त विशेष मुरब्बा नम्बर किला नम्बर की भूमि का इंतकाल संख्या 294 की प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी की कृषि भूमि अप्रार्थी की कृषि भूमि से चिपती हुई है। प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 1 में स्वीकृत गैर मुमकिन रास्ता से होकर अपनी भूमि किला नम्बर 2/1 में प्रवेश करता है एवं किला नंम्बर 2/1 की कूंट से अप्रार्थी की भूमि किला नम्बर 9 में चल रहे 16.5 फीट इन्टू 16.5 फीट भूमि से होकर अपनी भूमि किला नम्बर 10/1 में प्रवेश करता है। प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने के लिए उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है एंव इसी रास्ता से ही आज तक प्रार्थी बिना किसी रूकावट अपनी भूमि में आ जा रहा है एवं कृषि यन्त्र तथा ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आता जाता है। मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 1 व 10 में दूसरी दिशा में गैरमुमकिन नहर है। उक्त चालू रास्ता रिकॉर्ड में स्वीकृत नहीं होने के कारण अक्सर विवाद का भय बना रहता है इसलिये

प्रार्थी अपनी भूमि मुरब्बा नम्बर 10/1 में जाने के लिए उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत करवाना चाहता है। इसके अलावा प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने के लिए उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं ना हीं हो सकता है। कानूनन प्रार्थी को उसकी अपनी खातेदारी भूमि में रास्ता आने जाने हेतू उपलब्ध करवाया जाना एवं स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है। अप्रार्थी की भूमि में से नया रास्ता स्वीकृत करवाये जाने हतू मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने हेतू अन्यत्र कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी अप्रार्थी को उक्त रास्ता की ऐवज में कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि मुआवजा स्वरूप पूर्ति करने हेतू भी तैयार व तत्पर है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए, तृतीय सूचि नम्बर 81 में संशोधन कर जोडी गयी है जिसके अनुसरण में प्रार्थी को उसकी भूमि में जाने हेतू रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

Laying of underground pipeline or opening a new way thrhough another Khatedar's holding or enlarging the existing way------

अप्रार्थी, जो कि अकारण ही प्रार्थी से रंजिश रखे हुए है, वर्तमान परिस्थितियों में अक्सर रास्ता बन्द करने की धमकी देता है एवं उसके द्वारा ऐसा करने का प्रयास भी किया गया जिस पर प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को कई मरतबा जाकर निवेदन किया कि वह तहसील व जिला श्रीगंगानगर के सरकज नहर, ओढ़की का खाता संख्या 12/15, मुरब्बा नम्बर 9 का किला नम्बर 9 की कुंठ में किला नम्बर 2 एवं 10 से चिपता हुआ 16.5 फीट गुणा 16.5 फीट चालू रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत करवाकर एवं ऐवज में प्रार्थी से डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि प्राप्त कर रिकॉर्ड में अमल दरामद करवा लेवें जिससे कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि चिपती हुई मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 2 से 10 में आने जाने हेतू सुगम, छोटा एवं सुविधाजनक स्वीकृत रास्ता उपलब्ध हो सके एवं इस हेतू प्रार्थी अप्रार्थी की भूमि की पूर्ति डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि से करने हेतू भी तैयार व तत्पर है लेकिन अप्रार्थी द्वारा ऐसा करने से दिनांक 10.05.2019 को कतई इन्कार कर दिया है एवं ऐलानिया धमकी दी है कि प्रार्थी के किला नम्बर 10/1 से फसल उठाते ही वह किला नम्बर 9 की कुंठ पर चल रहे रास्ता 16.5 फीट गुणा 16.5 फीट को जबरन एवं बेजा तौर से बन्द कर देगा। यदि अप्रार्थी अपने इस नापाक मन्सूबे में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी एवं प्रार्थी अपनी भूमि में आने जाने से तथा फ़सल की काश्त करने एवं अपने कृषि यन्त्र लाने व ले जाने से वंचित हो जायेगा। अप्रार्थी की उक्त इन्कारी एवं धमकी से ही प्रार्थी को मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद हेतूक उत्पन्न हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील व जिला श्रीगंगानगर के सरकज नहर ओढ़की का खाता संख्या 12/15 के मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 9 की कोर्नर पर किला नम्बर 2 एवं 10 से चिपती भूमि पर 16.5 फीट गुणा 16.5 फीट का रास्ता स्वीकृत किया जाकर रिकॉर्ड में खोला जावे जिससे कि प्रार्थी अपनी चिपती भूमि मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 2 से किला नम्बर 10 में प्रवेश कर सके जिससे कि वर्तमान में चालू रास्ता से प्रार्थी आ जा रहा है। प्रार्थी विकल्प में भूमि की पूर्ति डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि से करने को तैयार है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नौटिस तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक को जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्त. अधि. पेश किया जिसके तथ्यानुसार दर्ज भूमि

के विवरण से कोई विरोध नहीं है। लेकिन मौका पर जो रास्ता चालू है का विवरण दर्ज किया है वह अस्वीकार है। प्रार्थी अपने खेत आने जाने के लिए नहर के साथ बनी पटरी से आ जा सकता है। आवेदन–पत्र में मिथ्या कथन दर्ज किये गये है।प्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 9 में कोई रास्ता नहीं चल रहा है। प्रार्थी अपनी भूमि में अपने खेत से जाता है और नहर के साथ साथ किला नम्बर 1 व 10 से होता हुआ अपने खेत में प्रवेश कर जाता है। प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता है प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रार्थना–पत्र काबिले निरस्ती है। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई।

बहस वकील उभ्यपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जवाब प्रार्थना पत्र, तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के पास चाहे गये रास्ते के अलवा अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है। प्रार्थी को रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी को अपनी भूमि मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 2 से किला नम्बर 10 में प्रवेश करने हेतु सरकज नहर ओढ़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 12/15 के मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 9 की कोर्नर पर किला नम्बर 2 एवं 10 से चिपती भूमि पर 16.5 फीट गुणा 16.5 फीट का रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ते के मुआवजे के फलस्वरूप डी. एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार अमल दरामद किया जावे। जमा राशि तहसीलदार जिसकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है उसको अपने स्तर से वितरित करेगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारेठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राज.)
श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2019.11.25 11:05:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: